भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 507
उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025

मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत छात्रवृत्ति के संवितरण में विलम्ब

507. एडवोकेट श्री अदूर प्रकाशः
श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत पहले से ही शामिल शोध छात्रों को दिसंबर 2024 से अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छात्रवृत्ति संवितरण में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) अक्तूबर-नवंबर 2024 से अब तक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को निधि जारी न किए जाने के क्या कारण हैं और निधि जारी करने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2025-26 के बजट में फेलोशिप के लिए वित्तपोषण अनुदान में 4.9 प्रतिशत की कटौती के कारण छात्रवृत्ति संवितरण में देरी हुई है और यदि हाँ, तो इससे छात्रवृत्ति संवितरण में किस प्रकार देरी हुई है;

(घ) क्या सरकार ने छात्रवृत्ति जारी करने और भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए हैं या सरकार का ऐसा करने का कोई विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह देखते हुए कि वर्ष 2022-23 में नए आवेदकों के लिए फेलोशिप समाप्त कर दी गई है, अल्पसंख्यक समुदायों के पी.एच डी. शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए विचाराधीन वैकल्पिक उपायों या योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना को 2022-23 से अन्य अध्येतावृत्ति योजनाओं के साथ उसकी ओवरलैपिंग को देखते हुए, बंद कर दिया गया है। हालाँकि, मौजूदा MANF अध्येता अपनी शिक्षावधि की समाप्ति तक अध्येतावृत्ति प्राप्त करते रहेंगे। अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण जनवरी से MANF के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया था।

हाल ही में, योजना दिशानिर्देशों/डीबीटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार MANF के अंतर्गत शामिल छात्रों को धनराशि जारी करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसके बाद, मंत्रालय ने अध्येतावृत्ति के वितरण के लिए नोडल एजेंसी को धनराशि जारी कर दी है।

(ङ): UGC और CSIR अध्येतावृत्ति योजनाएँ अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों और समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए खुली हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाओं के अंतर्गत भी शामिल हैं।

*****